



प्रेस नोट

सराहनीय कार्य कानपुर देहात

दिनांक- 26.08.2025

- ❖ थाना अकबरपुर पुलिस द्वारा चोरी की विभिन्न घटनाओं का खुलासा करते हुये अन्तर्राज्यीय चोरी गिरोह के 05 शातिर अभियुक्तगण को किया गया गिरफ्तार ।
- ❖ अभियुक्तगणों के कब्जे से सोने- चाँदी के आभूषण, नगदी व चोरी की घटना प्रयुक्त किये जाने वाली सामग्री बरामद हुई ।

कृपया अवगत कराना है कि जनपद कानपुर देहात पुलिस द्वारा अपराध नियन्त्रण की दिशा में घटनाओं की रोकथाम व खुलासे हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम दिनांक 25.08.2025 की रात्रि में थाना अकबरपुर पुलिस द्वारा अकबरपुर से रुरा जाने वाले मार्ग पर रात्रि गस्त व संदिग्ध व्यक्ति/वाहन की चेकिंग की जा रही थी, तभी नरिहा मोड़ से आगे रुरा की तरफ 03 मोटरसाइकिलों पर सवार 06 संदिग्ध व्यक्ति नरिहा की तरफ से रुरा की ओर आते हुए दिखाई दिये, जो पुलिस को देखकर अचानक वापस उल्टी दिशा में मोटर साइकिल मोड़कर अकबरपुर की तरफ भागने का प्रयास करने की जल्दबाजी में आपस में टकरा गये । शक होने पर पुलिस द्वारा घेर कर 05 मोटर साइकिल सवारों को मौके पर पकड़ लिया गया व 01 व्यक्ति भागने में सफल रहा । पकड़े गये व्यक्तियों से सोने-चाँदी के जेवरात व नगदी बरामद हुए, जिसके सम्बन्ध में पूछताछ करने पर पकड़े गये व्यक्तियों द्वारा बताया गया कि हम लोगों ने थाना अकबरपुर क्षेत्र में नवीन ज्वैलर्स कन्हैयानगर अकबरपुर से, लोहिया नगर में एक घर से व बीएसए आफिस के पास एक फौजी के घर में चोरी की घटना को अंजाम दिया था । जिनके सम्बन्ध में थाना अकबरपुर पर क्रमशः (1) मु0अ0सं0 90/2025 धारा 305/331(4) बीएनएस, (2) मु0अ0सं0 204/2025 धारा 305 बीएनएस, (3) मु0अ0सं0 309/2025 धारा 305 बीएनएस पूर्व से पंजीकृत है। अभियुक्तगण के कब्जे से 79.8 ग्राम सोने के व 938.4 ग्राम चाँदी के जेवरात बरामद हुए। गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण को नियमानुसार माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा ।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण का नाम पता-

1. दीपराज उर्फ राज यादव पुत्र गंगा सिंह यादव, उम्र करीब 29 वर्ष, निवासी ग्राम सुजनीपुर थाना रुरा जनपद कानपुर देहात ।
2. अनुज संखवार उर्फ बन्टा पुत्र रमेश चन्द्र, उम्र करीब 19 वर्ष, निवासी सुखसौरा थाना भोगीनपुर जनपद कानपुर देहात वर्तमान निवासी ग्राम सलावतपुर नई बस्ती थाना अकबरपुर जनपद कानपुर देहात ।
3. अभय सिंह यादव उर्फ शीलू पुत्र स्व0 सरनाम सिंह यादव, उम्र करीब 27 वर्ष, निवासी ग्राम सुजनीपुर पो0 चिलौली थाना रुरा जनपद कानपुर देहात ।
4. अजीत उर्फ लालू उर्फ लम्बू पुत्र स्व0 आशादीन, उम्र करीब 28 वर्ष, निवासी भौती थाना सचेण्डी जनपद कानपुर नगर ।
5. रोहित उर्फ डिन्टू पुत्र शिवकुमार साहू, उम्र करीब 26 वर्ष, निवासी 971 दबौली वेस्ट बाबा की बगिया थाना गोविन्द नगर जनपद कानपुर नगर ।

पूछताछ विवरण- अभियुक्तगण से सख्ती से पूछताछ करने पर उनके द्वारा बताया गया कि हम सभी लोगों का एक गैंग है, हम लोग अलग-अलग जगहों पर जाकर रेकी करते हैं और जिन घरों में ताला बन्द होता है मौका पाकर उसको खास कर निशाना बनाते हैं साथ ही रात्रि में छतों से भी चढ़ कर मकान के अन्दर उतर कर कमरों में लगे तालों को तोड़ कर चोरी कर लेते हैं तथा सर्राफा की दुकानों को चिन्हित कर टारगेट करते हैं। साथ ही कभी-कभी अचानक मौका देखकर रात्रि में बन्द घरों व सूनसान जगहों पर स्थित मकानों को भी निशाना बना लेते हैं। सुदेश सचान ताला तोड़ने में काफी माहिर आदमी है जो 10 मिनट के अन्दर किसी मकान व दुकानों में लगे कई तालों को तोड़ देता है। फिर उस घर या दुकान में चोरी कर लेते हैं। अनुज उर्फ बन्टा ने बताया कि सुदेश सचान ही हमारे गैंग का मुखिया है। सुदेश सचान गैंग के सभी

लोगों को सभी घटनाओं में नहीं ले जाता है। सदस्य बदल-बदल कर दो-दो चार-चार घटनाओं को कारित कराता है। अपना मोबाइल ज्यादातर बन्द करके रखता है, ग्रुप के सदस्यों के अलावा अन्य किसी को मोबाइल नम्बर नहीं देता है। इससे पहले हम लोगों ने महाकुम्भ के समय कई घरों को निशाना बनाकर चोरी किया था। उस समय अधिकतर लोग महाकुम्भ नहाने जाते थे तो जिन घरों में ताला लगा होता था उसमें जाकर सरिया की सब्बल से ताले तोड़कर सोने-चाँदी के जेवरात व नगदी चोरी कर लेते थे। साथ ही पूछताछ के दौरान **मलखानपुर के पास कानपुर बेला रोड रसूलाबाद में एक घर से व कहिजरी (रसूलाबाद), पामा (गजनेर) के कई क्षेत्रों में व जनपद कानपुर नगर में सचेण्डी, बिल्हौर, शिवराजपुर व राजस्थान प्रान्त के जयपुर व जोधपुर जनपदों में भी चोरी करना स्वीकार किया।**

नोट- अभियोग उपरोक्त में गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगणों द्वारा बताया गया कि हम लोगो के द्वारा की गयी चोरियों का ज्यादातर माल गुड्डू सिंह परमार उर्फ गुड्डू फौजी व निखिल गौतम नेताजी रुरा को देते थे और उन्हीं के द्वारा हम लोगों को उन मालों का पैसा बेच कर दिया जाता था। अभी भी गुड्डू फौजी व निखिल गौतम के पास रखे होने व माल बरामद करने की बात बतायी गयी है। जिसके सम्बन्ध में बरामदगी हेतु टीम रवाना की गयी है बरामदगी का प्रयास जारी है। साथ ही अभियुक्तगण ने फरार हुए अभियुक्तगण का नाम सुदेश सचान उर्फ अमित सचान पुत्र अजय सचान उर्फ अजब सचान निवासी दिलावलपुर थाना गजनेर कानपुर देहात बताया, जिसकी गिरफ्तारी हेतु सार्थक प्रयास किये जा रहे हैं।

बरामदगी का विवरण- अभियुक्तगणों के कब्जे से जेवरात सोने के 79.8 ग्राम, चाँदी करीब 938.4 ग्राम, जामातलाशी से प्राप्त 730 रुपये नगद, 04 अदद एण्ड्राइड मोबाइल, दो अदद की-पैड मोबाइल, 01 अदद तमंचा 315 बोर नाजायज, 02 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर, दो अदद लोहे का सब्बल, तीन अदद पेचकस(स्कूड्राइवर), एक अदद सूजा (सुम्मी) एक भूरे रंग के पिडू बैग व 03 अदद मोटर साइकिल क्रमशः 1. पल्सर 125 सीसी रेड ब्लैक नं0 UP78JC 5021 चेसिस नं0 MD2B68BX95PN36723 2. पल्सर 125 सीसी रेड ब्लैक नं0 UP78HW7213 चेसिस नं0 MD2B68BXXRPF44121 3. पल्सर 125 सीसी स्लेटी रंग की बिना नंबर प्लेट चेसिस नं0 MD2B72BX35PC55615 बरामद हुआ।

अभियुक्त दीपराज उर्फ राज यादव उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 1026/21 धारा 302/364 भा0द0वि0 थाना कल्यानपुर कानपुर नगर,
2. मु0अ0सं0 456/22 धारा 3(1) गैग0 अधि0 थाना कल्यानपुर कानपुर नगर,
3. मु0अ0सं0 90/2025 धारा 305/331(4) बीएनएस थाना अकबरपुर कानपुर देहात,
4. मु0अ0सं0 204/2025 धारा 305 बीएनएस थाना अकबरपुर कानपुर देहात,
5. मु0अ0सं0 309/2025 धारा 305 बीएनएस थाना अकबरपुर जनपद कानपुर देहात,
6. मु0अ0सं0 322/25 धारा 305 बीएनएस थाना रसूलाबाद जनपद कानपुर देहात,
7. मु0अ0सं0 155/25 धारा 331(4)/305(ए) बीएनएस थाना रसूलाबाद जनपद कानपुर देहात,
8. मु0अ0सं0 207/25 धारा 305 बीएनएस थाना गजनेर जनपद कानपुर देहात,
9. मु0अ0सं0 0174/25 धारा 305 बीएनएस सचेण्डी जनपद कानपुर नगर,
10. मु0अ0सं0 248/25 धारा 305 बीएनएस थाना बिल्हौर जनपद कानपुर नगर,
11. मु0अ0सं0 323/25 धारा 305/331(4) बीएनएस थाना बिल्हौर जनपद कानपुर नगर,
12. मु0अ0सं0 119/25 धारा 305/331(4) बीएनएस थाना शिवराजपुर जनपद कानपुर नगर,
13. मु0अ0सं0 102/25 धारा 305/331(4) बीएनएस थाना शिवराजपुर जनपद कानपुर नगर,

अभियुक्त अनुज शंखवार उर्फ बन्टा उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 90/2025 धारा 305/331(4) बीएनएस थाना अकबरपुर का0दे0
2. मु0अ0सं0 204/2025 धारा 305 बीएनएस थाना अकबरपुर का0दे0
3. मु0अ0सं0 309/2025 धारा 305 बीएनएस थाना अकबरपुर जनपद कानपुर देहात
4. मु0अ0सं0 0174/25 धारा 305 बीएनएस सचेण्डी जनपद कानपुर नगर
5. मु0अ0सं0 119/25 धारा 305/331(4) बीएनएस थाना शिवराजपुर जनपद कानपुर नगर
6. मु0अ0सं0 102/25 धारा 305/331(4) बीएनएस थाना शिवराजपुर जनपद कानपुर नगर

अभियुक्त अभय सिंह यादव उर्फ शीलू उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 204/2025 धारा 305 बीएनएस थाना अकबरपुर का0दे0
2. मु0अ0सं0 1026/21 धारा 302/364 भा0द0वि0 थाना कल्यानपुर कानपुर नगर
3. मु0अ0सं0 456/22 धारा 3(1) गैग0 अधि0 थाना कल्यानपुर कानपुर नगर
4. मु0अ0सं0 309/2025 धारा 305 बीएनएस थाना अकबरपुर जनपद कानपुर देहात
5. मु0अ0सं0 0174/25 धारा 305 बीएनएस सचेण्डी जनपद कानपुर नगर
6. मु0अ0सं0 119/25 धारा 305/331(4) बीएनएस थाना शिवराजपुर जनपद कानपुर नगर

अभियुक्त अजीत उर्फ लालू उर्फ लम्बू उपरोक्त आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 309/2025 धारा 305 बीएनएस थाना अकबरपुर जनपद कानपुर देहात
2. मु0अ0सं0 207/25 धारा 305 बीएनएस थाना गजनेर जनपद कानपुर देहात
3. मु0अ0सं0 104/25 धारा 331(4)/305(ए) बीएनएस थाना सचेण्डी जनपद कानपुर नगर

अभियुक्त रोहित उर्फ डिन्टू उपरोक्त आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 309/2025 धारा 305 बीएनएस थाना अकबरपुर जनपद कानपुर देहात
2. मु0अ0सं0 207/25 धारा 305 बीएनएस थाना गजनेर जनपद कानपुर देहात
3. मु0अ0सं0 104/25 धारा 331(4)/305(ए) बीएनएस थाना सचेण्डी जनपद कानपुर नगर
4. मु0अ0सं0 0189/2017 धारा120-B/302/394 भा0द0वि0 थाना घाटमपुर जनपद कानपुर नगर
5. मु0अ0सं0 0016/2018 धारा 411/413/414 भा0द0वि0 थाना गोविन्द नगर जनपद कानपुर नगर
6. मु0अ0सं0 0394/2019 धारा 3(1) गैग0 अधि0 थाना पनकी जनपद कानपुर नगर
7. मु0अ0सं0 0787/2017 धारा 120-B/307/333/353 भा0द0वि0 थाना पनकी जनपद कानपुर नगर
8. मु0अ0सं0 0789/2017 धारा 3/25 आयुध अधि0 थाना पनकी जनपद कानपुर नगर

गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना अकबरपुर पुलिस